भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

F.No. Tour Report/Garhwa District/Jharkhand/9/2016/RU-III

छठा तल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली 110003
6th Floor, 'B'wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक: 25.06.2016

सेवा में,

उपायुक्त,
जिला - गढ़वा,
झारखण्ड

विषय: माननीय डॉ. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की दिनांक - 23.04.2016 को जिला - गढ़वा की राजकीय प्रवास रिपोर्ट।

महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि माननीय डॉ. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की दिनांक 23.04.2016 को जिला - गढ़वा की राजकीय प्रवास की रिपोर्ट संलग्न कर आपको प्रेषित करते हुए लेख है कि एक माह में रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करें।

संलग्न - यथोपरि।

भवदीया,

(के.डी. बंसोर)श्रीमती
निदेशक

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

पत्रावली संख्याःटी.पी./सीपी/एनसीएसटी/झारखण्ड/2016/3 दिनांक 20/6/2016

माननीय डा. रामेश्वर उराँव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिनांक 23/04/2016 को झारखण्ड राज्य के जिला-गढ़वा के राजकीय प्रवास की रिपोर्ट निम्नानुसार है ।

माननीय अध्यक्ष के राजकीय प्रवास के दौरान श्री एन.एम. त्रिपाठी, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, एवं श्री सुखदेव, वैयक्तिक सहायक भी साथ रहे है ।

दिनांक 23/04/2016

जिला गढ़वा के परिसदन में डा. नेहा अरोड़ा, उपायुक्त गढ़वा एवं अन्य जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक का कार्यवृत निम्न है ।

बैठक की शुरूआत उपस्थित जिला पदाधिकारियों ने अपना परिचय दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित पदाधिकारियों को आयोग के गठन, कार्यों एवं भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के बारे में अवगत कराया ।

1. शिक्षा

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया गया कि आश्रम विद्यालयों की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिस कारण शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है । चीनिया एवं कदरू में अध्यापक नहीं है । विद्यालय में मिलने वाले भोजन की गुणवता ठीक नहीं है । छात्र-छात्राओं को छात्रवृति नहीं मिलती । शिक्षा विभाग ने इसका कारण बताया कि छात्रवृति के लिये आवेदन नहीं मिलता । अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी कि जिला कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृति के लिये आवेदन मंगवाकर उनको छात्रवृति दिलवानी चाहिये । अध्यापकों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी गई।

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन-गढ़वा

2. कृषि

जिला कृषि अधिकारी बताया गया कि जिले में कृषि भूमि है लेकिन ऊबड खाबड है, जिसके कारण कृषि करने में परेशानी होती है । यदि भूमि को समतल कर दिया जाये तो कृषि करने में आसानी होगी एवं फसल भी ज्यादा होगी । कृषि करने के लिये पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । सलाह दी गई कि जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा के तहत तालाब बनाकर जल स्त्रोतों को बढ़ाया जा सकता है ।

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन-गढ़वा

रामेश्वर उराँव

डा. रामेश्वर उराव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. मनरेगा

विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में जनजाति समुदाय के लोगों ने बताया गया कि मनरेगा के तहत कोई काम नहीं मिलता है । थोड़ा बहुत काम मिलता है तो राशि भुगतान समय पर नहीं होता । उपस्थित लोगों ने बताया कि 4-5 महीने बाद राशि का भुगतान किया जाता है । अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी कि उपायुक्त इसकी समीक्षा करें तथा सुधार लावें ।

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन-गढ़वा

4. आवास

विकास अधिकारी ने बताया गया कि बिरसा आवास योजना के तहत र्वा 2015-16 में 30 लाभार्थियों को आवास दिया गया है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जनजाति वर्ग के प्रत्येक परिवार को इसका लाभ क्यों नहीं दिया गया ? जिला प्रशासन द्वारा इसमें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया ।

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन-गढ़वा

5. चिकित्सा

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया गया कि अस्पतालों की स्थिति भी ठीक नहीं है । अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को दवाई लेने के लिये बहुत दूर जाना पड़ता है । अस्पतालों में डाक्टरों एवं नर्सो की कमी है । दवाई समय पर नहीं मिलती है । स्वास्थ्य विभाग को सलाह दी गई कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाये ।

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन-गढ़वा

6. आदिन जनजाति समूह

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि PVTG (आदिन जनजाति समूह) के लोग शहर/गाँवों से दूर रहते है इनकी संख्या बहुत कम है । इनको बचाना है । इनका जीवन 30-35 र्वा का ही होता है । केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा इनके कल्याण के लिये योजनायें बनाई गई है, परन्तु उनका अनुपालन हो रहा है या नहीं यह जाँच का विषय है । बैठक में यह बात सामने आई कि डीलरों द्वारा PVTG (आदिन जनजाति समूह) राशन का वितरण सही ढंग से नहीं हो रहा है । सलाह दी गई कि स्थानीय महिला मंडल बनाकर डीलरशिप उनको दे दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय ने एक उदाहरण देते हुये बताया कि एक आदिन जनजाति समूह के व्यक्ति की मृत्यु हो गई लेकिन मरणोपरान्त पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम में यह बात सामने आई कि इस व्यक्ति की मौत खाना न खाने के कारण (भूख) हुई है । पेंशन का वितरण भी सही ढंग से नहीं हो रहा है । आदिन जनजाति समूह के सभी गाँवों के लिये

डॉ. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है । अध्यक्ष महोदय ने इन योजनाओं का अनुपालन करने के लिये जिला प्रशासन को शीघ्रता से कार्रवाई करने की सलाह दी ।

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन-गढ़वा

7. अत्याचार

बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय ने अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे कहा कि थानेदार को मालूम ही नहीं है कि एक्ट क्या है एवं एक्ट की क्या क्या धारायें है और किस मामलें में कौनी सी धारा लगानी है । इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक के नीचे स्तर का अधिकारी इस संबंध जाँच नहीं कर सकता । शिकायत मिली कि चार्जशीट फाईल करने के बाद कल्याण विभाग द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया । जिला प्रशासन के पास अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के आंकडे उपलब्ध नहीं थे । अध्यक्ष महोदय ने इसको गम्भीरता से लेते हुये सलाह दी कि जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक करवाकर पुलिस अधिकारियों को अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में प्रशिक्षण देने एवं जागरूक करने की आवश्यकता है । अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की बुकलैट छपवाकर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वितरित किया जाना चाहिये ।

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन-गढ़वा

8. वन अधिकार अधिनियम-2006

वन विभाग के अधिकारी ने बताया गया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत **1373** व्यक्तिगत एवं **798** सामुदायिक पट्टे दे दिये गये है । जो दावे निरस्त किये गये हैं, उनका कारण यह बताया गया है कि कुछ दावे तो ग्राम सभा स्तर पर ही निरस्त कर दिये जाते हैं, कुछ दावे गलत होने के कारण निरस्त हो जाते है एवं कुछ दावे अनुमंडल स्तर पर लंबित है। शिकायत मिली कि ग्राम सभा एवं जिला समिति द्वारा दावा पारित कर दिया जाता है लेकिन वन विभाग में दो तीन महीनों तक लंबित रहता है । सलाह दी गई कि जिला प्रशासन द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से कैम्प लगाकर लोगों जागरूक कर उनसे दावे प्राप्त किये जाये एवं जों दावे ग्राम सभा द्वारा निरस्त किये गये, उनकी विशेष रूप से समीक्षा होनी चाहिये ताकि दावों निरस्त किये जाने का कारण की जानकारी मिल सकें । वन विभाग को भी सलाह दी गई कि जो दावे लंबित है उनका शीघ्रता से निपटारा किया जाये । अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को सामुदायिक दावा नहीं मिला है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो लकड़ी बेचने के लिये काटता है उस पर पूर्णतयाः रोक होनी चाहिये, क्योंकि इस वजह से दिन प्रतिदिन जंगल कम होता जा रहा है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिये बनाई गई योजनाओं एवं कानून का अनुपालन सही ढंग से नहीं हो रहा है । सलाह दी गई कि इसमें सुधार की जरूरत है ।

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन-गढ़वा

***

डा. रमेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi